न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी सी.आर. मीना, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 27/2019 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

ए यु स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. राजेश कुमार पुरोहित पुत्र गिरधारी लाल (ऋणी)
निवासी 35, दुर्गा कॉलोनी, गांधी छात्रावास के पास, वार्ड नम्बर 31, तहसील फतेहपुर जिला सीकर–332301 राज.

यहां भी
राजेश कुमार पुरोहित पुत्र गिरधारी लाल
वार्ड नम्बर 13, भारतीय हॉस्पिटल के पास, फतेहपुर शेखावाटी, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर–332301 राज.

2. भगवती देवी पत्नी राजेश कुमार पुरोहित (सहऋणी)
निवासी 35, दुर्गा कॉलोनी, गांधी छात्रावास के पास, वार्ड नम्बर 31, तहसील फतेहपुर जिला सीकर–332301 राज.

3. गिरधारी लाल पुत्र प्रेम चन्द (सहऋणी एवं रहनकर्त्ता)
निवासी 43, दुर्गा कॉलोनी, गांधी छात्रावास के पास, वार्ड नम्बर 31, तहसील फतेहपुर जिला सीकर–332301 राज.

यहां भी
गिरधारी लाल पुत्र प्रेम चन्द
निवासी प्लॉट नम्बर 49, वार्ड नम्बर 22, फतेहपुर शेखावाटी, एस.के. देवड़ा स्कूल के पास, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर–332301 राज.

4. पाना देवी पत्नी गिरधारी लाल (सहऋणी)
निवासी 43, दुर्गा कॉलोनी, गांधी छात्रावास के पास, वार्ड नम्बर 31, तहसील फतेहपुर जिला सीकर–332301 राज.

यहां भी
पाना देवी पत्नी गिरधारी लाल
निवासी दुर्गा कॉलोनी, एस.के. देवड़ा स्कूल के पास, फतेहपुर शेखावाटी, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर–332301 राज.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांकः 04-07-2019

प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **सुभाष कुल्हरी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **राजेश कुमार पुरोहित, भगवती देवी, गिरधारी लाल, पाना देवी** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **प्लॉट नम्बर 49, वार्ड नम्बर 22, फतेहपुर शेखावाटी, एस.के. देवड़ा स्कूल के पास, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर–332301 राज. जिसकी नाप 178 वर्गगज मालिकाना हक गिरधारी लाल का है एवं जिसकी चारों सीमाएं निम्न हैं:– पूर्व में रोड़ 15 फीट चौड़ा एण्ड प्लॉट नम्बर 54, पश्चिम में प्लॉट नम्बर 36, उत्तर में प्लॉट नम्बर 48, दक्षिण में रोड़ 10 फीट चौड़ा एण्ड प्लॉट नम्बर 50 स्थित है,** को बंधक रखकर **30,00,000/–**रूपये (अक्षरे रूपये **तीस लाख**) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **04.12.2018** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

1. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

2. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

3. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **04.12.2018** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

4. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

राजेश कुमार पुरोहित, भगवती देवी, गिरधारी लाल, पाना देवी की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **प्लॉट नम्बर 49, वार्ड नम्बर 22, फतेहपुर शेखावाटी, एस.के. देवड़ा स्कूल के पास, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर–332301 राज. जिसकी नाप 178 वर्गगज मालिकाना हक गिरधारी लाल का है एवं जिसकी चारों सीमाएं निम्न हैं:– पूर्व में रोड़ 15 फीट चौड़ा एण्ड प्लॉट नम्बर 54, पश्चिम में प्लॉट नम्बर 36, उत्तर में प्लॉट नम्बर 48, दक्षिण में रोड़ 10 फीट चौड़ा एण्ड प्लॉट नम्बर 50 स्थित है,** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालाना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

5. आदेश आज दिनांकः 04-07-**2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी.आर. मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner